तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/12/24	पत्रावली पेश। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 18/12/2024 को पेश हो।	
18/12/24	पत्रावली पेश। अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 1/1/2025 को पेश हो	
1/1/25	पत्रावली पेश। हमने बहस वकील पक्षकारान के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की वादीगण को अभिभाषक द्वारा सहवन से दिनांक-12/6/24 के स्थान पर दिनांक-19/6/24 नोट कर ली थी, उस कारण से वादीगण / वकील वादीगण न्यायालय मे उपस्थित नही हो पाये व वाद अदम पैरवी / अदम हाजरी मे खारीज कर दिया गया। हमने अन्दर मियाद अवधि प्रा०पत्र 09 R9 जा०दी० मे पेश किया है। मूल वाद अभी प्राथमिक स्तर पर लम्बित है। प्रा०पत्र स्वीकार कर वाद नम्बर पर लिया जावे, ताकि मूल वाद का विचारण होकर गुणावगुण पर निर्णय हो सके, और न्यायालय मे अनावश्यक वाद बहुलता ना हो। खण्डन मे वकील अप्रार्थी ने कथन किया की इनके द्वारा मूल वाद मे अंकित विवादित भूमि बाबत कई वाद इस न्यायालय / अन्य न्यायालयो मे पेश कर रखे है। इनको अपने वाद मे नियत पेशी की जानकारी थी, फिर भी अनु० रहे, इस कारण वाद न्यायालय श्रीमान द्वारा	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अदम हाजरी / अदम पैरवी मे खारीज किया गया। अब से प्रा०पत्र पेश कर वाद को वापस नम्बर पर लेना चाहते है, जो कि अनुचित है। प्रा०पत्र खारीज फरमाया जावें। सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 9 मे अंकित प्रावधानो मे से 09R9 जा०दी० के प्रा०पत्र मे यदि पक्षकार को वकील / अभिभावक द्वारा सद्भाव से गलत तारीख पेशी दिये जाने पर वाद खारीज हो जाने पर उसे इस नियम के अन्तर्गत स्वीकार किया जा सकता है। न्यायालय मे वादी / प्रार्थी द्वारा 30 दिवस की मियाद अवधि मे ही प्रा०पत्र पेश किया, वकील अप्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा भी इस आशय के अलावा अन्य कोई खण्डन पेश नही किया है। न्यायालय प्रा०पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अत: प्रा०पत्र 09R9 जा०दी० द्वारा प्रार्थी (वादीगण) स्वीकार किया जाकर दिनांक 12/6/24 को अदम हाजरी / अदम पैरवी मे खारीज किये गये वाद संख्या 52/दावा/21 बउनवान सत्यनारायण V/S पन्नूलाल व प्रा०पत्र संख्या 84/प्रा०पत्र/21 बउनवान सत्यनारायण V/S पन्नूलाल को पुन: नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रा०पत्र निर्णित शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले इजलास लिखा जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली